

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-89/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० शान्ता कुमारी, तत्कालिन चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर (मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर) सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), मनोरोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-01.07.2024 से 27.12.2024 तक कुल-180 दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध- 01-89/2024- 831(17) पटना, दिनांक :- 31/07/2025

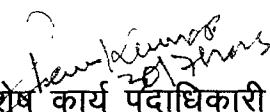
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर (मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिक:- डा० शान्ता कुमारी, तत्कालिन चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर (मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर) सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), मनोरोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।